(नियम 26)

फर्द अहकाम

न्यायालय संभागीय आयुक्त, मुकाम सीकर

लालचन्द बनाम शंकर

किस्म मुकदमाः— अतर्गत धारा 75 **अपील सं0 1195/2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित। बहस एडमिशन पर सुनी गई। अपील में सारभूत कानूनी बिन्दू निहित होने से अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है। धारा 5 अधिनियम का आवेदन सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे प्रथम दृष्टया सुविधा एवं संतुलन का तथ्य अपीलान्ट के पक्ष में प्रतीत होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला नीमकाथाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 से प्रथम दृष्टया अपीलान्ट को क्षति होने का अंदेशा भी प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाना उचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला नीमकाथाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2021 क्रियान्विति आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.11.2023 तक स्थगित की जाकर वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे। तहत रिकार्ड व रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस एवं तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 10.11.2023 को पेश हो। **(डॉ0 मोहन लाल यादव)** **संभागीय आयुक्त,** **सीकर**	
10/11/23	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. रा. भ्रमण/ अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 2.2.24 को पेश हो।	

न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर
लालचन्द बनाम सांवर
प्र. सं. 1190/2023

2/2/24 पत्रावली पेश हुई। आज P.O. रा. भ्रमण/ अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20.2.24 को पेश हो। [signature]

20.02.24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट ने कथन किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए प्रकरण में अपीलार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण पत्रावली विड्रो करवाना चाहते हैं अतः पत्रावली को नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
संभागीय आयुक्त
सीकर

[Stamp: न्यायालय संभागीय आयुक्त सीकर (राज.)]

पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है, अतः पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते अतः पत्रावली को विड्रा करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Ravi
20/2/24
(रवि कुमावत एड.)